न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 01 / 2023

1 दुर्गाराम
2 छोटुराम पुत्रगण बिलासराय जाति मीणा निवासी ग्राम चुड़ैला तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955
अपील खिलाफ आदेश दिनांक 01.07.2022 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर पत्रावली संख्या 20 / 2022
उनवानी दुर्गाराम बनाम राज. सरकार बाबत नियमन खसरा
नम्बर 329 रकबा 0.80 है. वाके ग्राम चुड़ैला तहसील बिसाउ
जिला झुन्झुनूं

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 31/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 20/2022 में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने ग्राम चुडैला तहसील बिसाउ की भूमि हाल खसरा नम्बर 329 के संदर्भ में नियमन का प्रकरण लंबित था। विचाराधीन निर्णय से नियमन का प्रकरण खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म बंजड़ राजस्व ग्राम चुड़ेला में स्थित है। उक्त जमीन पहले तत्कालीन ठिकाना बिसाउ की जमीन रही है। अपीलान्टस के पूर्वजों ने तत्कालीन ठिकाना बिसाउ से लगान के बदले काश्त हेतु प्राप्त कर बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त रहे। उक्त जमीन के अलावा अपीलान्ट के पास भारत देश में कहीं भी जमीन नहीं है। अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है। उक्त जमीन पर शुरू से ही अपीलान्ट व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। उक्त जमीन पर वैध कब्जा अपीलान्ट का है। कब्जे का पुराना सबूत पेनल्टी रसीद दिनांक 10. 03.1997 की है। जिससे पुराना सबूत होना माना जायेगा। अपीलान्टस का मामला आवंटन/नियमन का कानूनी रूप से बनता है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। कार्यालय उप तहसील बिसाऊ ने उक्त जमीन अपीलान्टस के हक में नियमन की सिफारिस कर अपने पत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को पत्रावली भेज दी। विचारण न्यायालय को पत्रावली दर्ज कर अपीलान्ट को सुनकर नोटिस जारी कर मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त समस्त विधिक प्रक्रिया की अनदेखी कर विचाराधीन निर्णय पारित है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय अपूर्ण व अस्पष्ट रूप से पारित किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली को दर्ज नहीं किया। विचाराधीन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय तक एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट नहीं है। अपीलान्ट का ठिकाना के समय से उक्त जमीन पर लगातार कब्जा है। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय में धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने नियमन का प्रकरण नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से प्रकरण खारिज किया है। विधि अनुसार विचाराधीन आदेश की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय संभागीय आयुक्त को है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने नियमन का प्रकरण नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से प्रकरण खारिज किया है। विधि अनुसार विचाराधीन आदेश की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय संभागीय आयुक्त को है।

ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित नहीं है। विधि के आलोक में मूल अपील अपीलान्ट को सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपरोक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर